कार्यालय प्रभारी गैराज, नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांकः 207 / निविदा / गै०स्टो० / न०नि०सहा० / 2024–25 दिनांकः 13/02/2025

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र के शौचालयों में कस्टमर फीडबैक मशीन, हैण्ड ड्रायर की आपूर्ति मय फिक्सिंग एवं नदी-घाटों पर आस्था कलश स्टैण्ड सहित आपूर्ति मय फिक्सिंग तथा डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र वाहनों पर आयरन बिन्स की आपूर्ति मय फिक्सिंग लगाये जाने के कार्य हेतु दरें प्रति नग वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष माह एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये इच्छुक फर्म/ठेकेदार से दिनांक 14.02.2025 से 20.02.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक वेबसाईट **www.etender.up.nic.in** पर शर्तो के आधार पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा संबंधित सभी अभिलेख एवं शर्ते वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर एवं नगर निगम की वेबसाइट **http:://saharanpurnagarnigam.com** पर उपलब्ध रहेंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर ही ऑनलाईन डाला जा सकता है। ठेकेदार/फर्म को निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि एवं निविदा मूल्य ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाईन माध्यम से भुगतान करना होगा। बिना जमानत राशि, निविदा मूल्य एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर में निहित होगा।

क्र. सं.	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा मूल्य
01	GS-08	शौचालयों में कस्टमर फीडबैक मशीन व हैण्ड ड्रायर की आपूर्ति मय फिक्सिंग	50,000/- (Payble at e-tender website)	590/-With GST Non-Refundable (Payble at e-tender website)
02	GS-09	नदी-घाटों पर आस्था कलश स्टैण्ड सहित आपूर्ति मय फिक्सिंग		
03	GS-10	डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र वाहनों पर आयरन बिन्स की आपूर्ति मय फिक्सिंग		

E Bid REFERANCE	GS-08, 09, 10/2024-25/2025-26
PUBLISH DATE AND TIME FOR RFP	14-02-2025
LAST DATE AND TIME FOR SUBMISSION OF E-Bids	20-02-2025 at 2:00 PM
DATE AND TIME OF OPENING OF ON LINE TECHNICAL E-Bids	20-02-2025 at 4:00 PM
PLACE OF OPENING OF E-Bids	Nagar Nigam Office (Sre.)
E-Bids SECURITY	As Above
E-Tender Document Processing	As Above

प्रभारी गैराज
नगर निगम, सहारनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि – 1. माननीय महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ।
2. आई.टी.ओ., नगर निगम, स0पुर, को नगर निगम की वेबसाईट **saharanpurnagarnigam.com** पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रबन्धक दैनिक हिन्दुस्तान...... एवं दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में 09 फोन्ट में (12x12 Sqcm) डीएवीपी दर/शासकीय दर पर प्रकाशित कर, बिल 03 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। अधिक फोन्ट में प्रकाशन किये जाने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. गार्ड फाईल हेतु।

प्रभारी गैराज
नगर निगम, सहारनपुर

सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर

GS- 08 शौचालयों के लिये कस्टमर फीडबैक मशीन एवं हैण्ड ड्रायर हेतु ई-टैण्डर के सम्बन्ध में शर्तें:-

1. यह निविदा ई-टैण्डर के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
2. उक्त दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष माह एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मान्य होंगी।
3. निविदा की दरें ई-टैण्डर के साथ दी गयी बी.ओ.क्यू. में, प्रति नग जी.एस.टी. सहित डालनी होगी। निविदा में डाली गयी दर के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नगर निगम सहारनपुर द्वारा नहीं किया जायेगा।
4. निविदा डालते समय निविदा का शुल्क 590/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) अप्रतिदेय (Non-Refundable) एवं धरोहर राशि रूपये 50 हजार (पचास हजार रूपये) ई-टैण्डर वेबसाईट पर ऑनलाईन प्राप्त की जायेगी।
5. ऑनलाईन प्राप्त धनराशि सफल निविदादाता से अनुबन्ध के उपरान्त समान धनराशि एफ0डी0आर0 जो नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी प्राप्त होते ही मुक्त कर दी जायेगी।
6. यह निविदा नगर निगम की वेबसाइट http:://saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध होगी। निविदा को www.etender.up.nic.in वेबसाइट पर ही डाला जा सकता है।
7. कोई निविदा प्रपत्र निविदा बॉक्स में नहीं डाली जायेगी। समस्त प्रपत्र ऑनलाईन रूप से अपलोड करना होगा। समस्त वांछित प्रपत्र की मूल प्रति निविदा खोले जाने के समय मांगी जा सकती है। मूल शपथ पत्र किसी कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है अथवा मांगे जाने पर निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
8. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिवस होगी एवं एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं होगी।
9. निविदादाता को अंकन 100/- रू0 के स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित सर्वघोषणा प्रपत्र/शपथ पत्र किसी भी विभाग में Debar न होने, किसी विभाग का बकाया न होने एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट न होने के सम्बन्ध में देना होगा। शपथ पत्र निविदा तिथि प्रारम्भ होने के उपरान्त की तिथि का ही मान्य होगा। स्टाम्प पेपर नगर निगम सहारनपुर के नाम से क्रय किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में पत्रावली/बिड संख्या एवं कार्य के नाम का उल्लेख होना भी आवश्यक है। ऐसा उल्लेख न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर नाम, पता हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर, जी0एस0टी0 नं0 स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पर पाई गयी, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
11. यह कि निविदादाता को निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे। जिससे निविदा के प्रत्येक शब्द पर निविदादाता की सहमति माना जायें।
12. निविदा के साथ अपना नाम, पत्राचार का पता, टेलीफोन/मो0 नं0, ईमेल आदि दर्ज करना होगा।
13. निविदादाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की जा रही कस्टमर फीडबैक मशीन का फीडबैक मोबाईल एप/कम्प्यूटर/लैपटॉप के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु नगर निगम में प्रशिक्षण देना होगा।
14. निविदादाता/फर्म द्वारा आपूर्ति की जा रही कस्टमर फीडबैक मशीन का रिचार्ज न्यूनतम 01 वर्ष के लिए करना होगा। 01 वर्ष पश्चात प्रतिवर्ष रिचार्ज की धनराशि का मूल्य बी.ओ.क्यू. में जी0एस0टी0 सहित दर्ज करना होगा।
15. निविदादाता/फर्म द्वारा कस्टमर फीडबैक मशीन का डाटा नियमित रूप से स्टोर करना होगा। 01 वर्ष तक का डाटा सुरक्षित रखना होगा। 01 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात डाटा नगर निगम को देना होगा। यदि किसी भी फीडबैक मशीन के डाटा की हानि होती है तो समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी एवं फर्म के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
16. निविदादाता/फर्म द्वारा की गयी सामग्री की आपूर्ति की गारंटी/वारंटी 01 वर्ष सहित लिखित में देनी होगी।
17. टैण्डर अधिकतम 01 वर्ष के लिये मान्य होगा, जिसको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से **5** प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
18. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश होता है, तो निविदा अगले दिन उसी समय खोली जायेगी। इस हेतु अलग से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जायेगी।
19. निविदादाता की निविदा का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा अथवा किसी भी संशोधन में मांगे गए किसी भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

20. नगर आयुक्त को जनहित में किसी भी शर्त को परिवर्तित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार होगा। यदि कोई संशोधन होता है तो इसकी सूचना निविदा वेबसाईट पर ही दी जायेगी। अलग से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पर निगरानी रखें।
21. फर्म का चयन डबल बिड सिस्टम के द्वारा किया जायेगा। फर्म की तकनीकी शर्त पूरी हो जाने के बाद ही फर्म का चयन न्यूनतम निविदा के अनुसार ही किया जायेगा।
22. शर्त पूरी नहीं करने वाली निविदा एवं सशर्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
23. सफलीभूत फर्म/निविदादाता को पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना होगा। स्टाम्प पर अनुबन्ध के पश्चात ही कार्यदेश जारी किया जायेगा। स्टाम्प निविदा आमंत्रित तिथि के उपरान्त का ही स्वीकार किया जायेगा। स्टाम्प की कमी पाये जाने पर केवल निविदादाता/ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा। इसलिए ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि वह सहायक आयुक्त स्टाम्प से स्टाम्प पेपर के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
24. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है, कि संबंधित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है एवं कूटरचित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर राशि को जब्त करते हुए फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
25. किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर जुर्माना करने, जमा धनराशि जब्त करं निविदा निरस्त करने और फर्म को प्रतिबन्धित ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
26. सामग्री की आपूर्ति मानक एवं सभी शर्तो के अनुरूप की ,जानी होगी। अन्यथा की दृष्टि में निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुये, काली सूची में डाल दिया जायेगा।
27. सफलीभूत फर्म/निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति मय फिक्सिंग का कार्य नगर निगम द्वारा चयनित किये गये शौचालयों/स्थानों पर करना होगा। कार्यदेश जारी करने के 10 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा, समय सीमा पर कार्य पूर्ण न करने की दशा में जुर्माना लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है, जो सभी को मान्य होगा।
28. सफलीभूत फर्म/निविदादाता को कार्य के पहले एवं कार्य के बाद के फोटो, भुगतान बिल के साथ संलग्न करने होंगे। उसके पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
29. आपूर्ति ली जाने वाली सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप होने तथा नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर द्वारा गठित आपूर्ति समिति द्वारा जांच के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
30. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
31. उक्त निविदा से सम्बन्धित जानकारी गैराज अनुभाग, नगर निगम सहारनपुर में स्टोर कीपर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
32. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति मे वाद का निस्तारण सहारनपुर न्यायालय में ही होगा।
33. सहारनपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित सभी शर्ते व नियम फर्म को पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

<u>गैराज अनुभाग :-</u>

अ0अभि0 (27/1/25) | जैड0एस0ओ0 (27/1/25) | प्रभारी गैराज (27/01/25) | तकनीकी प्रभारी | वरि0प्र0गै0/अपर नगर आयुक्त

<u>निविदा पुनरीक्षण समिति :-</u>

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (04/02/25) | प्रभारी गैराज (04/02/25) | लेखाधिकारी (Feb-2025) | अपर नगर आयुक्त (द्वितीय)